PHOTO

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0,लखनऊ।

विभागीय आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1. नाम फर्म :– ____

2. पता :– ____

____

3. वाणिज्यक कर टिन संख्या :– ________________________________

4. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण :– __________________________

5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के समबन्ध में प्राप्त विशेषज्ञता / विवरण जिससे उक्त क्षेत्र की आपूर्ति में आपको वरीयता प्रदान की जा सके।

6. दूरभाष संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ मो0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7. आपूर्ति का अनुभव :–

आपूर्ति का वर्ष	विभाग / संस्था जिसे आपूर्ति की गयी	आपूर्ति की गयी सामग्री	आपूर्ति की गयी सामग्री का मूल्य	किसी विभाग / संस्थां द्वारा ब्लैक लिस्त तो नहीं किये गये।

नोट :– उपर्युक्त विवरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग / संस्था का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

8. निजी श्रोतो एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर एक बार में कितनी धनराशि की आपूर्ति करने में सक्षम है :–

9. वित्तीय स्थिति का विवरण (प्रमाण संलग्न किया जाये) :– ________________________

10. श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है :– ____________________________

11. प्रस्तावित क्षेत्र (जनपद आदि) जिसमें आपूर्ति की जायेगी :– _______________________

12. आयकर न0 (PAN No.) :– ____________________________________
(आयकर विवरणी विगत दो वर्षो की फोटो कापी संलग्न करें)

13. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :–

बैंक का नाम	धनराशि	डी0डी0नम्बर	दिनांक

मै ....प्रोपराइटर फर्म ....नें विभागीय आपूर्ति हेतु उ0प्र0उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 की शर्तो एवम आपूर्ति प्रकि्या की पूर्ण जानकारी कर ली है। मैं निर्धारित प्रकि्या एवम शर्तों के अधीन उ0प्र0उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के माध्यम से विभागीय आपूर्ति करना चाहता हूँ। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करते हुए मेरी फर्म ....को ....श्रेणी में पंजीकृत करने की कृपा करें।

प्रोपराइटर

नाम मात्रिक सदस्यता आवेदन–पत्र

PHOTO

महोदय,

मै / हम ____

____

की ओर से आपकी संस्था का सदस्य बनने तथा अन्य सभी कार्य के लिये फर्म के अधिकारी पत्र (पावर आफ अटार्नी) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि हूँ/हैं। आपकी संस्था के साथ व्यवसाय के अनुबन्ध करने के इच्छुक हूँ।, अतः हमें नियमानुसार नाम मात्रिक सदस्य बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। इस हेतु निर्धारित सदस्यता शुल्क रू0 10=00 (दस रूपये मात्र) एवं रू0 10000=00 (दस हजार रूपये मात्र)/5000=00/2000=00 (क्रमशः ए,बी, एवं सी श्रेणी हेतु) प्रशासनिक शुल्क आवेदन–पत्र के साथ नकद/बैंक ड्राफ्ट सं0 ---------------------------- दिनांक -------------- आवेदन पत्र के साथ प्रेषित है।

मैं / हम

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते है कि :–

1 केन्द्रीय निबन्धन के अधीन बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002(मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002) के अन्तर्गत निहित प्राविधानों/नियमों के अन्तर्गत निबन्धित संघ की उप–विधियों के प्रावधानों तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों परिवर्तनों से अनुबद्ध रहेगा / रहेगें।

2 मैं/हम -- एवं इस संघ के मध्य किसी विवाद की दशा में उनका निपटारा केन्द्रीय निबन्धन के अधीन बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002(मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत निबन्धित संघ की उपविधियों के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा कराये जाने के लिये सहमत हूँ/हैं तथा उसके निर्णय व आदेश मेरे/ हमारे ऊपर बन्धनकारी होंगे।

तिथि ....

भवदीय,

हस्ताक्षर आवेदक / नाम मासिक सदस्य

साक्षी के हस्ताक्षर

1 ....

2 ....

सदस्यता स्वीकार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पद ....

तिथि ....

अधिकृत व्यक्ति

फर्म की मोहर

वाणिज्यक कर

टिन नम्बर

दूरभाष संख्या

मोबाइल नम्बर

नियम व शर्ते

1 मैं श्री .... प्रोपराइटर/ साझीदार मेसर्स ....पता ....उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 का नाम मात्रिक सदस्य हूँ।

2 हमारी फर्म शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्र सरकार के कार्यालय, निगमों, तथा अन्य कार्यालय से संघ के पक्ष में मांग पत्र प्राप्त करने का कार्य करेगी।

3 मेरी फर्म द्वारा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के माध्यम से राजकीय कार्यालयों में उनकी मांग के अनुसार स्वीकृत दरों, अनुमोदित नमूनों के अनुसार, गुण मानक, मूल्य एवं विनिर्दिस्टयों के अनुसार आपूर्ति किया जा रहा है। यदि आपूर्ति के पश्चात सम्बन्धित विभाग से माल की आपूर्ति के पश्चात भुगतान में कटौती अथवा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी फर्म की होगी।

4 जो दरें फर्म के द्वारा आपके माध्यम से सम्बन्धित विभाग को दी जायेगी/ की जा रही है वह तुलनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक होती है।

5 यदि मांग पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि से सम्बन्धित विभाग को आपूर्ति फर्म द्वारा नहीं की जाती है और सम्बन्धित विभाग द्वारा इस हेतु उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0पर कोई दावा /क्षतिपूर्ति हेतु किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।

6 केन्द्रीय निबन्धक के अधीन बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों/नियमों के अनुसार जो नियम होगें वह नियम मेरे ऊपर बन्धनकारी होगें।

7 बिक्री के बाद सेवा (आफ्टर सेल्स सर्विस) नियमानुसार फर्म द्वारा करायी जायेगी जिसके लिए कोई भी व्यय इस संघ द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

8 आपूर्ति के दौरान/ पश्चात बिल का भुगतान प्राप्त करने में फर्म द्वारा संघ का सहयोग लिया जायेगा। तथा इस प्रक्रिया में होने वाले प्रशासनिक एवं विविध व्यय इत्यादि की प्रति पूर्ति मेरी फर्म द्वारा ही वहन की जायेगी।

9 हमारी फर्म द्वारा सम्बन्धित विभाग से आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के पश्चात फर्म के प्रतिनिधि से निर्धारित गुणवत्ता, मानक एंव विषिष्टयों वाला सामान निर्धारित मात्र एंव शर्तो के अनुसार करके चालान प्राप्त करके संघ के बिल की एक प्रति सहित फर्म का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें संघ द्वारा निर्धारित लाभांश काटकर बिल को प्रस्तुत किया जायेगा।

10 फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में सभी प्रकार के कर यथा व्यापार कर सर्विस टैक्स तथा अन्य कर जो आपूर्ति से सम्बन्धित होगें बिल में शामिल होंगे। अलग से कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है हमारी फर्म व्यापार कर विभाग में पंजीकृत है इसका प्रान्तीय व्यापार कर नम्बर .... दिनांक .... है फर्म द्वारा नियमित व्यापार कर का कर निर्धारण कराया जाता है।

रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्र

(क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जॉच हेतु प्रपत्रों का विवरण)

1– रजिस्ट्रेशन कराने वाली फर्म का नाम :–

2– फर्म का यू0पी0टिन नम्बर :–

3– पैन नम्बर :–

4– बैंक स्टेटमेण्ट (करेन्ट छः माह का) :–

5– दो फोटोग्राफ (नियत स्थान पर चस्पा कर क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित) :–

6– रजिस्ट्रेशन फीस ड्राफ्ट रू0 10010/– उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ के पक्ष में (नान रिफेन्डेबुल) :–

7– अनुभव के रूप में प्राप्त प्रमाण पत्र (जिस विभाग में आपूर्ति की गयी है।) :–

8– कम्पनी प्रोफाइल/बैलेन्स सीट :–

9– वाणिज्य कर कार्यालय में जमा आखिरी रिर्टन एवं जमा टैक्स चालान की छाया प्रति :–

10– फर्म का पता तथा पते का प्रमाण पत्र :–

11– रजिस्ट्रेशन फार्म एंव साथ में संलग्नों के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रोपराइटर के हस्ताक्षर :–

12– संघ के नियम एवं शर्तों को मानने का हलफनामा N10/– नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर।

13– यदि फर्म किसी विभाग से काली सूची में (ब्लैक लिस्टेड) हो तो उसका विवरणः–

14– फर्म का किसी विभाग से काली सूची में न होने का शपथ पत्र :–

उपरोक्त बिन्दुओं को पूर्ण करते हुए समस्त प्रपत्रों की जॉच कर ली गयी है समस्त प्रपत्र सही पाये गये।

संघ के क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर एवं मोहर

फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर एवं मोहर

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।

वाईब्रेन्ट, गुजरात द्वारा आपूर्ति नमक के डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज स्व प्रमाणित फोटो

1 नाम / फर्म– ....

2 पता– ....

....

3 वाणिज्य जी0एस0टी0 नम्बर– ....

4 पैन नम्बर– ....

5 दूरभाष.. मो0 नं0..

6 व्यापार का स्थान–..

7 व्यापार किये जाने वस्तुओं का विवरण– ....

8 व्यवसाय का अनुभव– ....

9 गोदाम का विवरण / क्षमता– ....

10 डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्र का विवरण– ....

11 प्रस्तावित क्षेत्र (जनपद / तहसील / ग्राम)
(जहाँ आपूर्ति की जायेगी)– ....

12 एक बार में कितनी धनराशि विनियोजित करने में सक्षम है– ....

13 संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण–

बैंक का नाम	धनराशि	डी0डी0 नम्बर	दिनांक

मै ....प्रोपराइटर फर्म ....
नें नमक के व्यवसाय हेतु उ0प्र0उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 की शर्तो एवं आपूर्ति प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी कर ली है। मैं निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन उ0प्र0उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के माध्यम से नमक का व्यवसाय करना चाहता हूँ। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करते हुए मेरी फर्म ....को पंजीकृत करने की कृपा करें।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान....................

दिनांक–....................

नाम..............................

पता..............................

....

नमक की बिक्री अनुबन्धित हाकर्स के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

नियम व शर्तेः–

संघ के उपभोक्ता व्यवसाय में निरन्तर गिरावट के दृष्टिगत उपभोक्ता व्यवसाय बढाने के प्रयास किये जा रहे है एवं इसी दृष्टि से वाइब्रेन्ट साल्ट प्रा0 लि0 के अनुबन्ध कर नमक का व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है, किन्तु नमक के व्यवसाय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है जिसके प्रमुख्य कारण संघ के बिक्री केन्द्रों (Sale Outlets) की कमी हैं जबकि नमक एक आवश्यक वस्तु है जिसकी आवश्यकता दैनिक रूप में हर परिवार में पड़ती है।

अतः संघ द्वारा बिक्री किये जा रहे नमक सामान्य जन साधारण तक सुलभ कराने हेतु क्षेत्र के पढे लिखे बेरोजगार नवयुवकों के माध्यम स ेनमक की बिक्री किये जाने की योजना प्रस्तुत की जा रही है जिसके अनुसार क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को अनुबन्धित कर दैनिक रूप से नमक उपलब्ध कराकर क्षेत्र में जन साधारण को नमक की बिक्री की जायेगी। जिस हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत निर्धारित की जा रही है–

1 सम्बन्धित शाखा/डिपो द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को नमक की बिक्री के लिए अनुबन्धित किया जायेगा जो क्षेत्र में घूम–घूम कर डोर टू डोर जाकर नमक की बिक्री इच्छुक हो। उन्हें आवश्यकतानुसार नमक के साथ–साथ अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं भी बिक्री हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है।

2 सम्बन्धित बेरोजगार युवकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल हो एवं उनके पास अपना वाहन होना अनिवार्य है।

3 सम्बन्धित बेरोजगार युवको से इस बावत अनुबन्ध कराते हुए कम से कम रू0 2000/– की जमानत धनराशि जमा करायी जायेगी।

4 जमानत धनराशि जमा होने के पश्चात सम्बन्धित को अधिकतम जमा जमानत धनराशि के मूल्य का नमक/अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री (सम्बन्धित अनुबन्धकर्ता के मांग के अनुसार) चालान उपलब्ध करा दी जायेगी।

5 सम्बन्धित अनुबन्धकर्ता द्वारा उक्त वस्तु बेचकर उसी दिन शाम तक अथवा अगले दिन तक बिक्री धनराशि शाखा/डिपो जमा कर दी जायेगी। तदनुसार बिक्री वस्तुओं की बिक्री किये गये सम्बन्धित सामग्री को अनुबन्धकर्ता के नाम बिल बनाकर सम्बन्धित धनराशि जमा की रसीद निर्गत की जायेगी एवं पुनः जमा धनराशि के समतुल्य धनराशि का नमक/अन्य वस्तुऐं सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी जायेगी।

6 यदि एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी गयी वस्तुओं की धनराशि शाखा/डपो पर जमाकर सम्बन्धित अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल नहीं बनवाया जाता है तो ऐसी स्थित में उपलब्ध करायी गयी वस्तुओं/नमक की बिक्री मानते हुए बिल निर्गत कर दिया जायेगा एवं धनराशि जमानत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।

7 संघ द्वारा नमक/सम्बन्धित वस्तु, पैकिंग अवस्था में दी जायेगी एवं पैकिंग क्षतिग्रस्त होने पर वजन/गुणवत्ता आदि की कमी होने पर संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8 किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय मान्य होगा।

9 सभी विवादो का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
नमक के डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु नियम व शर्तें

1 आवेदनकर्ता द्वारा रू0 10/- की सदस्यता शुल्क, नाम मात्रिक सदस्यता हेतु एवं रू0 10000/- की धनराशि प्रशासनिक शुल्क मद में आवेदन पत्र के साथ नकद/बैंक ड्राफ्ट डिपो/शाखा पर जमा करनी होगी जो नानरिफण्डेबिल होगी तथा डिपो/शाखा को आवेदन पत्र में सूचना सही-सही साक्ष्यों सहित प्रेषित करेगा।

2 आवेदनकर्ता अपेक्षित धनराशि की बैंक गारण्टी राष्ट्रीकृत बैंक से उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, उपभोक्ता भवन, वालाकदर रोड, लखनऊ के पक्ष में प्रस्तुत करेगा तथा बैंक गारण्टी तब तक बन्धक रहेगी जब तक दोनो पक्षो के मध्य आयोडाइज्ड नमक/ डबल फोर्टिफाइड नमक के व्यवसाय का कार्य चलता रहेगा।

3 आवेदनकर्ता द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने हेतु संघ के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सभी लेबर/हैण्डलिंग परिवहन आदि के समस्त कार्य समय से पूर्व किये जायेंगे।

4 स्टाक के भण्डारण हेतु आवेदनकर्ता के पास पर्याप्त भण्डार क्षमता के गोदाम की उपलब्धता होना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाण पत्र अनुबन्ध पत्र के साथ प्रथम पक्ष का प्रस्तुत करना होगा।

5 आवेदनकर्ता द्वारा आपूर्ति लेने के पूर्व अनुबन्ध पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख मूल रूप में प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

क-फर्म की ख्याति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

ख-फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।

ग-फर्म के कार्यालय का स्थायी पता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

घ-फर्म का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन।

ड़-फर्म के ओनर के तीन पासपोर्ट फोटो।

च-फर्म की जी0एस0टी0एन की प्रमाणित प्रति (यदि उपलब्ध हो तो अथवा नहीं)।

छ-माल/नमक की रिटेल शाप तक पहुँचाने हेतु कम से कम छोटे वाहनों के स्वामित्व/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

6 आवेदनकर्ता द्वारा माल/स्टाक की आपूर्ति प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर संघ को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

7 यदि आपूर्ति एवं भुगतान की शर्तो के विचलन किसी पक्ष द्वारा किये अथवा किसी प्रकार के उत्पन्न विवाद की स्थिति में आर्बीट्रेटर का फैसला दोनों पक्षों का मान्य होगा।

8 दोनो पक्षो के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

9 आवेदनकर्ता की आपूर्ति बन्द होने अथवा दोनो पक्षों के मध्य कार्य के बन्द होने की दशा में यदि संघ का कोई पावना आवेदनकर्ता पर अवशेष निकलता है तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह आवेदनकर्ता द्वारा बन्धक बैंक गारण्टी की धनराशि अपने पक्ष में आहरित कर पावनों का समायोजन करने के उपरान्त यदि बैंक गारण्टी की धनराशि अवशेष बचती है तो उसका भुगतान संघ आवेदनकर्ता को करेगा जो आवेदनकर्ता को मान्य होगा।

10 यह कि आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध भली भॉति पढकर समझ लिये गये है एवं उसके अनुसार नमक व्यवसाय की डीलरशिप लेने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गयी है।मुझे उपरोक्त नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

आवेदनकर्ता

नाम–हस्ताक्षर मोहर सहित

शाखा/डिपो प्रबन्धक
(उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0)
नाम, हस्ताक्षर मोहर सहित

साक्षी–

1 नाम पता सहित

2 नाम पता सहित